

विज्ञापित

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या: 18351/एडमिन 'जी-1'/2019 इलाहाबाद दिनांकित 16.12.2019 के निर्देशानुसार शासनादेश संख्या 102/सात-न्याय-2-2015 -728/86 दिनांकित 18.06.2015 के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26(1) के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय गौतमबुद्धनगर में पारिवारिक प्रकरणों में परामर्श हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन/प्रार्थनापत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:-

1	पद का नाम	परामर्शदाता
2	योग्यता	आवेदक समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो।
3	वरियता	सामाजिक कार्यों में मास्टर डिग्री धारक और पारिवारिक काउन्सलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखने वाले को वरियता दी जायेगी।
4	आयु	आवेदक की आयु विज्ञप्ति की तिथि को 25वर्ष से 65वर्ष के बीच की होनी चाहिये।
5	परामर्शदाता का कार्यकाल	नियुक्ति की तिथि से परामर्शदाता का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा।
6	मानदेय	375/-रुपये प्रति कार्य दिवस या 10,000/-रुपये जो भी कम हो।
7	आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व स्थान	दिनांक 20.11.2021 जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर।

नोट-आवेदक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र योग्यता से सम्बन्धित प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न कर परिवार न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पास दिनांक 20.11.2021 की सायं 4:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

दिनांक: 12.10.2021,

UP 168886, Dt., 22.10.2021,
Website: www.upgov.nic.in

(अंगद प्रसाद- I)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गौतमबुद्धनगर

लुआ-पार पल जो नाम — उअर उजाला

के बाद उसे कोई जानकारी मिली भी ठगी की है। को शिकायती पत्र इसके चलते उसे न्यायालय ने नगर इलाफ रिपोर्ट दर्ज जनसुविधा केंद्र के चक्कर लगा रहा था। बाद में पैन कार्ड किसी संजय नामक युवक के माध्यम से मिला। इसके बाद रिक्शा चालक के घर आकर विभाग की तरफ से एक नोटिस आया, जिसमें सालाना 43 लाख रुपये का टर्न ओवर दिखाया गया। नोटिस मिलते ही लिया। उसके बाद इसका टर्न 43 लाख का दिखाया गया तो इनकम टैक्स ऑफिस गया, यहाँ राहत नहीं मिली तो थाने आकर तहरीर दी। हालांकि मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सोमवार को इनकम टैक्स ऑफिस खुलने पर पूरी जानकारी जुटाई जाएगी।

विज्ञापित	
माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या: 18351/एडमिन/जी-1/2019 इलाहाबाद दिनांकित 16.12.2019 के निर्देशानुसार शासनादेश संख्या 102/सात-न्याय-2-2015-728/86 दिनांकित 18.06.2015 के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26 (1) के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय गौतमबुद्धनगर में पारिवारिक प्रकरणों में परामर्श हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन/ प्रार्थनापत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-	
1. पद का नाम	परामर्शदाता
2. योग्यता	आवेदक समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो।
व्यस्तता	सामाजिक मागों में मास्टर डिग्री धारक और पारिवारिक काउन्सलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखने वाले की वरीयता दी जायेगी।
3. आयु	आवेदक की आयु विज्ञप्ति की तिथि को 25 वर्ष से 65 वर्ष के बीच की होनी चाहिये।
4. परामर्शदाता का कार्यकाल	नियुक्ति की तिथि से परामर्शदाता का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा।
5. मानदेय	1750/- (सत्रह सौ) कार्य दिवस या 10,000/- रुपये जो भी कम हो।
6. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि व स्थान	दिनांक 20.11.2021 नगरपालिका न्यायालय गौतमबुद्धनगर।
<p>नोट:- आवेदक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र योग्यता से सम्बन्धित प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न कर परिवार न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पास दिनांक 20.11.2021 को सायं 4.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। दिनांक- 12.10.2021</p> <p>(अंगद प्रसाद-1) प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गौतमबुद्धनगर।</p> <p>www.upgov.nic.in Uplid- 163886 Dt. 22.10.2021</p>	

जिला सूचना कार्यालय गौतमबुद्धनगर

(कक्ष संख्या 201A, कलैक्ट्रेट सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा)

समाचार पत्र का नाम.....

नवभारत टाइम्स

दिनांक 25/10/2021

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या: 18351/एडमिन 'जी-1'/2019 इलाहाबाद दिनांकित 16.12.2019 के निर्देशानुसार शासनादेश संख्या 102/सात-न्याय-2-2015-728/86 दिनांकित 18.06.2015 के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26(1) के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय गौतमबुद्धनगर में पारिवारिक प्रकरणों में परामर्श हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन/प्रार्थनापत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:-

1.	पद का नाम	परामर्शदाता
2.	योग्यता	आवेदक समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो।
	वरियता	सामाजिक कार्यों में मास्टर डिग्री धारक और पारिवारिक काउन्सलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जायेगी।
3.	आयु	आवेदक की आयु विज्ञप्ति की तिथि को 25 वर्ष से 65 वर्ष के बीच की होनी चाहिये।
4.	परामर्शदाता का कार्यकाल	नियुक्ति की तिथि से परामर्शदाता का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा।
5.	मानदेय	375/- रुपये प्रति कार्य दिवस या 10,000/- रुपये जो भी कम हो।
6.	आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व स्थान	दिनांक 20.11.2021 जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर।

नोट:- आवेदक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र योग्यता से सम्बन्धित प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न कर परिवार न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पास दिनांक 20.11.2021 को सायं 4:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(अंगद प्रसाद-1)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
गौतमबुद्धनगर।

दिनांक: 12.10.2021,

UPID 168886 dt 22.10.2021,
www.upgov.nic.in

जिला सूचना अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

जिला अधिकारी
गौतमबुद्धनगर